भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2603
(09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

चक्रवात प्रभावित व्यक्तियों के लिए आवास

2603. श्री महेश साहू:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा पीएमएवाई-जी के अंतर्गत विशेष रूप से उन लोगों के लिए, जिनके आवास गंभीर चक्रवात 'फणि' से पूरी तरह/काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, के लिए पाँच लाख आवास मंजूर किए जाने की संभावना है; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख) : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के स्तर पर वार्षिक केन्द्रीय आवंटन का पांच प्रतिशत आरक्षित निधि के रूप में रखा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों के साथ-साथ उन परिवारों के पुनर्वास/पुनर्स्थापन के लिए जिनके मकान प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात सहित विभिन्न कारकों के कारण पूर्ण रूप से/काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए हैं, का वित्तपोषण करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाता है।

वे सभी पात्र ग्रामीण परिवार जिन्हें पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया गया है और जिनके मकान चक्रवात 'फणि' के कारण पूर्ण रूप से/काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए है, वे परिवार पीएमएवाई-जी की विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत मकान की मंजूरी के लिए पात्र हैं।

******